

प्रदर्श "स"

प्रमाण पत्र

मेसर्स:- कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग छ0ग0राज्य विद्युत पारेक्षण कम्पनी मर्यादित रायगढ़ को प्रस्तावित 132/33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र वाड्डफनगर गैर वानिकी प्रयोजन कार्य हेतु बलरामपुर-रामानुजगंज जिला में वनमण्डल बलरामपुर के जमई गांव के वनभूमि व्यपवर्तन हेतु 77/1 रकबा 13.13 हे0 में से 2.63 हे0 भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व भूमि (छोटे झाड़ जंगल मद की भूमि) 2.63 हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम जमई तहसील वाड्डफनगर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा-परसडीहा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 03.08.15 (प्रदर्श "ब") पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम जमई में श्री अमरसिंह की अध्यक्षता में हुई विशेष ग्राम सभा की बैठक दिनांक 03.08.15 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारको की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है।

क्र0	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0 में)
01	02	03	04
1.	जमई	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्रामसभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 03.08.15 के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी0टी0जी0) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्रामसभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 03.08.15 के अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वनभूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

दिनांक:- 20.08.15

(एलेक्स माल मेसन)

कलेक्टर एवं अध्यक्ष

जिला वन अधिकार समिति

जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)